पत्र सं0–आई0टी0 / GSTN B. I. Reports /2021–22 / 927 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ::दिनांकः: 20, दिसम्बर :: 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा देय मासिक अथवा त्रैमासिक रिटर्न लगातार 6 माह अथवा 2 त्रैमास तक कॉमन पोर्टल पर दाखिल न किये जाने की स्थिति में ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम की धारा–29(2) के अन्तर्गत विहित रीति से निरस्त किये जाने का प्रावधान है। पंजीकृत व्यक्तियों के विरूद्ध अनुचित आई0टी0सी0 के उपयोग के जिन मामलों में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम–86(A) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए आई0टी0सी0 ब्लॉक की गयी है उन मामलों के आई0टी0सी0 ब्लॉक किये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर आदेश पारित न किये जाने पर आई0टी0सी0 स्वतः अनब्लॉक हो जाने का प्रावधान है। मुख्यालय स्तर से फील्ड के अधिकारियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल GSTR-1 में घोषित कर देयता एवं GSTR-3B में प्रदर्शित कर देयता में अन्तर है। जी0एस0टी0 नेटवर्क (GSTN) द्वारा निम्न तीन प्रकार के डाटा उपलब्ध कराये गये हैं:–

1– लगातार 6 माह अथवा 2 त्रैमास तक रिटर्न दाखिल न करने वाले पंजीकृत व्यक्ति।

2– ऐसे मामलें जिनमें नियम–86(A) के अन्तर्गत आई0टी0सी0 ब्लॉक किये जाने की तिथि से 1 वर्ष का समय शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है।

3– रू0 5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले ऐसे व्यापारियों जिनके द्वारा वर्ष 2021–22 के द्वितीय त्रैमास तक दाखिल GSTR-1 एवं GSTR-3B में घोषित कर देयता में रू0 50 लाख से अधिक का अन्तर है।

उक्त तीनों प्रकार के डाटा को जोनवार विभक्त करते हुए GST MIS की BIFA रिपोर्ट में उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में प्रत्येक दशा में दिनांक 15.02.2022 तक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। खण्ड़ कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण BIFA रिपोर्टस की entry menu में किया जायेगा जो विभागीय वेबसाइट पर अधिकारियों के उपयोगार्थ पूर्व से ही उपलब्ध है। जोन स्तर पर कृत कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिससे समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण हो सके।

20/12/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।